

[2024] 7 एस.सी.आर 617 : 2024 आईएनएससी 513

केंद्रीय सूचना आयोग

बनाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण व अन्य

(सिविल अपील सं. 2230/2012)

10 जुलाई 2024

[माननीय न्या. श्री विक्रम नाथ और माननीय न्या. श्री सतीश चंद्र शर्मा]

विचाराधीन मुद्दा

क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों के सामान्य अधीक्षण निर्देश और प्रबंधन की शक्ति में सीआईसी की न्यायपीठों का गठन करने और आयोग के भीतर काम के प्रभावी प्रबंधन और आवंटन के लिए विनियम तैयार करने का अधिकार शामिल है, जिसमें आदेश जारी करना और समितियों का गठन करना शामिल है।

हेडनोट्स[†]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - सीआईसी का गठन और शक्तियां - आरटीआई अधिनियम की धारा 12:

अभिनिर्धारित किया गया: आरटीआई अधिनियम की धारा 12 में सीआईसी के गठन और शक्तियों का उल्लेख किया गया है - सीआईसी में केन्द्रीय सूचना आयुक्त तथा एक निर्दिष्ट संख्या में सूचना आयुक्त होते हैं, जो अधिकतम दस होते हैं - आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) सीआईसी को आयोग के मामलों का

सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है - इस प्रावधान का तात्पर्य यह है कि सीआईसी के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन का व्यापक अधिकार है - यह प्रावधान सीआईसी को आयोग की न्यायपीठों के गठन सहित आयोग के सुचारू और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने वाले उपायों को लागू करने की अनुमति देता है। [पैरा 13]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - राज्य सूचना आयुक्तों की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां - आरटीआई अधिनियम की धारा 12 - आयोगों के प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्राधिकार प्रदान करने की विधायी मंशा:

अभिनिर्धारित किया गया: आरटीआई अधिनियम की धारा 15, धारा 12 के समान है, लेकिन यह राज्य सूचना आयोगों पर भी लागू होती है - यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करता है तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है - आरटीआई अधिनियम की धारा 12 और 15 दोनों में समान भाषा का प्रयोग किया गया है, तथा इसमें सीआईसी और राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को अपने-अपने आयोगों के मामलों को स्वायत्ततापूर्वक और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्रबंधित करने के व्यापक अधिकारों पर बल दिया गया है - यह भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि विधायी मंशा इन अधिकारियों को उनके आयोगों को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु व्यापक अधिकार प्रदान करना था। [पैरा 14]

आरटीआई अधिनियम की व्याख्या - सामान्य अधीक्षण से तात्पर्य न्यायपीठों का गठन करने की योग्यता से है - किसी स्पष्ट प्रावधान का अभाव सीआईसी के पीठ गठित करने के अधिकार को अस्वीकार नहीं करता है:

अभिनिर्धारित किया गया: सीआईसी में निहित सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन शक्तियों से तात्पर्य आयोग के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक अधिकार से है, जिसमें न्यायपीठों का गठन करने की क्षमता भी शामिल है - यह व्याख्या आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मामलों के कुशल निपटान और सूचना के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है - न्यायपीठों के लिए स्पष्ट प्रावधान का अभाव सीआईसी के उन्हें गठित करने के अधिकार को अस्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां सीआईसी के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन जिम्मेदारियों के दायरे में निहित हैं - आरटीआई अधिनियम की व्यापक भाषा आयोग के प्रभावी और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु सीआईसी को व्यापक अधिकार प्रदान करने के इरादे को इंगित करती है - आरटीआई अधिनियम की व्यापक भाषा से पता चलता है कि विधायी मंशा सीआईसी को आयोग के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने वाले उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करना था - उच्च न्यायालय की व्याख्या आरटीआई अधिनियम की प्रतिबंधात्मक व्याख्या पर आधारित थी, जिसमें आरटीआई अधिनियम सहित न्यायपीठों के लिए स्पष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया था और आरटीआई अधिनियम की व्यापक व्याख्या जरूरी है। [पैरा 16 और 17]

आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य - आरटीआई अधिनियम की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या - न्यायपीठों का गठन कार्य के कुशल आवंटन की अनुमति देता है

अभिनिर्धारित किया गया: आरटीआई अधिनियम की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए, तथा कानून के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए - आरटीआई अधिनियम

का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना है - इन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सूचना आयोग कुशलतापूर्वक और बिना किसी अनावश्यक प्रक्रियागत बाधाओं के कार्य करे - उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत सीआईसी की शक्तियों में आयोग के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और निर्देशित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय शामिल हैं - इसमें मामलों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए न्यायपीठों का गठन करने की क्षमता भी शामिल है - न्यायपीठों के गठन से कार्य का कुशल आवंटन संभव हो सकेगा तथा मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित होगा, जो सूचना के अधिकार को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है। [पैरा 18]

विधायी मंशा - "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" की व्याख्या - केन्द्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 आयोग के कुशल प्रशासन और संचालन को सुनिश्चित करने हेतु उपकरण हैं:

अभिनिर्धारित किया गया: इन प्रावधानों की व्यापक भाषा से प्रतिबिंबित विधायी मंशा इन अधिकारियों को आवश्यक प्राधिकार प्रदान करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आयोग प्रभावी और कुशलतापूर्वक कार्य करें - इन प्रावधानों में आयोग के कार्यों के लिए "अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन" शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है - भारतीय चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार [\[2000\] पूरक.3 एससीआर 34](#): (2000) 8 एससीसी 216: 2000 आईएनएससी 423 और भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स [\[2002\] 3 एस.सी.आर. 696](#): (2002) 5 एससीसी 294: 2002 आईएनएससी 253 में

दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 324 (1) में उल्लिखित शब्दों "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" की व्याख्या की है - आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) और 15(4) में "अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन" शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से सीआईसी को अपने स्वयं के नियम बनाने और अपने द्वारा गठित समिति को अपनी शक्ति सौंपने के लिए पर्याप्त व्यापक शक्ति प्रदान करता है - केंद्रीय सूचना आयोग ने इन व्यापक शक्तियों का उपयोग करते हुए 'केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007' अधिनियमित किया है - यद्यपि आरटीआई अधिनियम स्पष्ट रूप से सीआईसी को विनियम बनाने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत दी गई व्यापक शक्तियों में स्वाभाविक रूप से आयोग के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता शामिल है - ये विनियम आयोग के कुशल प्रशासन और संचालन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरण हैं - नामकरण पर संकीर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना और आरटीआई अधिनियम के भीतर विनियमन-निर्माण के लिए एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति इसके व्यापक उद्देश्य और इरादे को कमजोर कर देगी - इन विनियमों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त नामकरण से उनकी आवश्यकता तथा आयोग के कामकाज को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका कम नहीं होनी चाहिए - आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या से पता चलता है कि "अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन" की शक्तियां व्यापक हैं, जिससे सीआईसी को विनियमनों के निर्माण सहित ऐसे उपाय अपनाने में सक्षम बनाया जा सके, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारियों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करते हैं। [पैरा 19 से 22]

विनियमों की व्याख्या - "विनियम" शब्द का उपयोग उनके कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए:

अभिनिर्धारित किया गया: "विनियम" शब्द का उपयोग उनके कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए, जो कि किसी अन्य प्रशासनिक आदेश या परिपत्र के समान है जिसे सीआईसी जैसा प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यापित कर सकता है - इन विनियमों का सार आयोग के आंतरिक प्रबंधन और प्रक्रियात्मक संचालन को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका में निहित है, जो कि आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत दी गई अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की व्यापक शक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से परिकल्पित आवश्यकता है - शब्दावली पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण, आपत्तियाँ अन्य प्रकार के प्रशासनिक मार्गदर्शन के साथ इन विनियमों की कार्यात्मक तुल्यता को समझने में विफल रहती हैं - ये विनियम आयोग की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए थे, ताकि किसी भी प्रशासनिक संदर्भ में इसके संचालन को संरचना और स्पष्टता प्रदान की जा सके - इसलिए, केवल "विनियम" लेबल के आधार पर आपत्तियां उठाना एक ठोस तर्क के बजाय शब्दार्थ का प्रयोग है। [पैरा 23]

आरटीआई अधिनियम - केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता - अहस्तक्षेप का सिद्धांत:

अभिनिर्धारित किया गया: केन्द्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता उसके प्रभावी कामकाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है - इसके प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप, जैसे कि न्यायपीठों के गठन की शक्ति, बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से निपटाने की इसकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करेगा - सीआईसी को स्वतंत्र रूप से

कार्य करने तथा बाह्य बाधाओं के बिना अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए - सीआईसी की अखंडता और प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए अहस्तक्षेप का सिद्धांत महत्वपूर्ण है - आयोग को स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति देने से यह सुनिश्चित होगा कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सकेगा, जो आरटीआई अधिनियम का आधार हैं - सूचना आयुक्तों के बीच पीठों का गठन करने और कार्य आवंटित करने की क्षमता सीआईसी के लिए अपने कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नागरिकों के सूचना के अधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। [पैरा 24]

उद्धृत निर्णय विधि

भारतीय चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार [\[2000\] पूरक 3 एस. सी. आर. 34](#) : (2000) 8 एस. सी. सी. 216:2000 आई. एन. एस. सी. 423; भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स [\[2002\] 3 एस. सी. आर. 696](#) : (2002) 5 एस. सी. सी. 294 : 2002 आई. एन. एस. सी. 253 - निर्भरता रखी गई।

अधिनियमों की सूची

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

मुख्य सूचना आयुक्त की न्यायपीठों का गठन करने की शक्तियां; आरटीआई अधिनियम की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या; केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2230/2012

रि.या.सि. सं. 12714/2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 21.05.2010 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारगण के प्रस्तुतकर्ता

आर वेंकटरमनी, भारत के महान्यायवादी, के एम नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, यशराज सिंह बुंदेला, विनायक शर्मा, सुश्री स्नेहा कलिता, शौर्य राय, चितवन सिंघल, अभिषेक कुमार पांडे, रमन यादव, कार्तिकेय अग्रवाल, सुश्री अमेया विक्रमा थानवी, मुकेश कुमार सिंह, श्रीकांत नीलप्पा तेरदाल, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

सुश्री बीनू टम्टा, नितिन मिश्रा, प्रत्यर्थीगण हेतु अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी- व्यक्तिगत रूप से।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. विक्रम नाथ

1. प्रशासनिक निकायों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता उनके निर्धारित कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की उनकी क्षमता के लिए मौलिक है। इन संस्थाओं की स्थापना विशिष्ट कार्यों को करने के लिए की जाती है, जिनके लिए एक स्तर की निष्पक्षता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब वे अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त हों। प्रशासनिक प्रणाली की अखंडता और प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन निकायों के कामकाज में हस्तक्षेप करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से काम करने की

क्षमता प्रभावित होती है। ऐसा हस्तक्षेप उनकी शक्तियों की प्रतिबंधात्मक व्याख्याओं या प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों से उत्पन्न हो सकता है जो उनकी परिचालन स्वायत्तता में बाधा डालते हैं। प्रशासनिक निकायों को आंतरिक प्रक्रियाओं और विनियमों को स्थापित करने और लागू करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उनके विशिष्ट अधिदेशों और परिचालन आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त हों। अहस्तक्षेप का सिद्धांत केवल प्रशासनिक सुविधा ही नहीं है, बल्कि विधि के शासन को बरकरार रखने तथा यह सुनिश्चित करने का आधार है कि ये निकाय प्रभावी रूप से जनहित की सेवा कर सकें। जब इन संस्थाओं को बाहरी दबावों के बिना कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो वे विशेषज्ञता और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और सार्वजनिक विश्वास बढ़ता है।

2. वर्तमान अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि.) सं. 12714/2009 में पारित दिनांक 21.05.2010 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बनाए गए केन्द्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 को रद्द कर दिया तथा कहा कि सीआईसी को आयोग की पीठ गठित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अपील विनियमों की वैधता और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12(4) के तहत सीआईसी की शक्तियों के मुद्दे तक ही सीमित है।
3. यह मामला श्री सरबजीत रॉय, प्रोफार्मा प्रत्यर्थी सं. 2, द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 18 की सहपठित धारा 19 के तहत दायर आवेदन से उत्पन्न हुआ है, जिसमें वर्ष 2021 के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान में चल रहे संशोधन के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आवेदक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के

तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की, जिसमें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया है।

4. 22.09.2009 को सीआईसी ने एक आदेश जारी कर डीडीए द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन के मामले की जांच करने और आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। समिति में शहरी विकास मंत्रालय की निदेशक सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, हैज़र्ड्स सेंटर, दिल्ली के श्री दुनू रॉय और सीआईसी के संयुक्त रजिस्ट्रार श्री पंकज केपी श्रेयस्कर शामिल थे।
5. इस आदेश से व्यथित होकर, प्रति विरोधी प्रत्यर्थी प्राधिकारी-डीडीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सि) सं. 12714/2009 दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, डीडीए ने सीआईसी द्वारा अपने उपाध्यक्ष को समन किये जाने को विशेष रूप से चुनौती दी थी, तथा तर्क दिया था कि ऐसा अधिकार केवल उच्च न्यायालय के पास निहित है। डीडीए ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को समन करने और विस्तृत पूछताछ करने जैसी कुछ शक्तियां पारंपरिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में थीं, जिनके पास पूर्ण शक्तियां थीं। उन्होंने तर्क दिया कि एक प्रशासनिक निकाय के रूप में सीआईसी को ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपनी जांच को इस विशिष्ट चुनौती से आगे बढ़ाया। इसने आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत सीआईसी के अधिकार के व्यापक मुद्दे पर गहनता से विचार किया, अंततः सीआईसी द्वारा बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाया और उन्हें अधिकारातीत घोषित किया।

6. उच्च न्यायालय ने विचाराधीन मुद्दों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

I. क्या केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत यह अधिकार है कि वह आयोग के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों की एक समिति गठित कर आरटीआई अधिनियम की धारा 4 द्वारा डीडीए जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण पर लगाए गए बाध्यताओं के कार्यान्वयन की जांच कर सके?

II. क्या मुख्य सूचना आयुक्त के पास आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 को अधिनियमित करने की शक्ति थी, विशेष रूप से अध्याय IV के प्रावधानों के संबंध में, जो 'अपील के पंजीकरण, उपशमन या वापसी' को संबोधित करते हैं?

III. क्या केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी कार्यवाही में डीडीए के उपाध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य करने का अधिकार था?

7. मामले की विस्तार से जांच करने के बाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तीन प्रश्नों पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

क) पहले प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सीआईसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीआईसी का अधिकार आरटीआई अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित प्रावधानों तक ही सीमित है, जिसमें किसी समिति को अपनी जांच की जिम्मेदारी सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है।

ख) दूसरे प्रश्न पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि सीआईसी ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) सीआईसी को ऐसे विनियमन बनाने के लिए विधायी शक्ति प्रदान नहीं करती है, विशेष रूप से वे जो प्रक्रियात्मक प्रबंधन से बाहर होते हैं और मूल मामलों से निपटते हैं।

ग) तीसरे प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी शक्तियाँ न्यायिक प्राधिकरण, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए आरक्षित हैं। न्यायालय ने माना कि सीआईसी के पास डीडीए के उपाध्यक्ष जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों को समन करने का अधिकार नहीं है, जिससे वह अपनी कानूनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान महान्यायवादी, श्री आर. वेंकटरमणी, डीडीए के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन मिश्रा, जो प्रत्यर्थी सं. 1 है, को सुना है तथा प्रत्यर्थी सं. 2 श्री सरबजीत राँय के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया है।

9. अपीलार्थी की ओर से महान्यायवादी के तर्क संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

I. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के तहत, सीआईसी के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 तैयार किए हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) सीआईसी को 'सीआईसी के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन' की शक्ति प्रदान करती है। यह व्यापक अधिकार सीआईसी को आयोग के कुशल कामकाज के लिए

आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जिसमें सूचना आयुक्तों के बीच कार्य के आवंटन के लिए न्यायपीठों का गठन भी शामिल है।

- II. आरटीआई अधिनियम में न्यायपीठों के गठन के लिए स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति सीआईसी के ऐसा करने के अधिकार को नकारती नहीं है। न्यायपीठों के गठन की शक्ति स्वाभाविक रूप से सीआईसी के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन उत्तरदायित्वों में शामिल है। आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) की व्यापक भाषा यह इंगित करती है कि सीआईसी के पास आयोग के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने का व्यापक अधिकार है, जिसमें मामलों के कुशल संचालन के लिए न्यायपीठों का गठन करने की क्षमता भी शामिल है।
- III. सीआईसी द्वारा संभाले जाने वाले मामलों की बड़ी मात्रा के कुशल निपटान हेतु पीठ बनाने की क्षमता आवश्यक है। आयोग सालाना लगभग 20,000 मामले पंजीकृत करता है और मासिक रूप से लगभग 1,500 मामलों से निपटता है। सभी सूचना आयुक्तों और सीआईसी द्वारा सामूहिक रूप से मामलों की सुनवाई करना कष्टकर होगा और इससे मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायपीठों के गठन से कार्य का कुशल आवंटन संभव होगा और मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित होगा, जो सूचना के अधिकार को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

- IV. केंद्र सरकार को दी गई नियम बनाने की शक्ति और सीआईसी जैसी कानूनी निकायों को दी गई विनियमन बनाने की शक्ति के बीच का अंतर, आंतरिक प्रबंधन और कार्यात्मक आवंटन के लिए विनियम तैयार करने के आयोग के अधिकार का समर्थन करता है। विनियमन बनाने की शक्ति आंतरिक प्रबंधन, कार्यात्मक आवंटन और कार्यों के निर्वहन में सहायता के उपायों से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह अंतर सीआईसी के दृष्टिकोण को मान्य करता है और केंद्र सरकार की नियम-निर्माण शक्तियों पर अतिक्रमण किए बिना अपने मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने के उसके अधिकार को रेखांकित करता है।
- V. सीआईसी की अखंडता और प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए अहस्तक्षेप का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप, जैसे कि न्यायपीठों के गठन की शक्ति, बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से निपटाने की इसकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करेगा। आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने तथा बाह्य बाधाओं के बिना अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
- VI. न्यायपीठों के गठन की व्यावहारिक आवश्यकता सीआईसी द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों की बड़ी मात्रा से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। आयोग प्रत्येक माह बड़ी संख्या में मामलों पर विचार करता है, तथा सभी सूचना आयुक्तों और सीआईसी द्वारा सामूहिक रूप से मामलों की सुनवाई करना अव्यावहारिक और प्रतिकूल होगा। न्यायपीठों के गठन से बेहतर मामले प्रबंधन, समय पर निपटान

और आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुमति मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सूचना का अधिकार शब्दशः और भावना दोनों में बरकरार है।

10. प्रत्यर्थी सं. 1-डीडीए की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उनके पास विनियमों को अधिकार-विहीन घोषित किए जाने के मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं है। हालांकि, प्रत्यर्थी सं. 2 सुनवाई के समय उपस्थित नहीं था, फिर भी उसने लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल की हैं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

- I. प्रत्यर्थीगण ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को समन करने और विस्तृत पूछताछ करने जैसी कुछ शक्तियाँ पारंपरिक रूप से न्यायिक अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में थीं। उन्होंने तर्क दिया कि एक प्रशासनिक निकाय के रूप में सीआईसी को ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि प्रशासनिक और न्यायिक भूमिकाओं के बीच अंतर बनाए रखने के लिए सीआईसी के आदेश और विनियमों को रद्द करने में उच्च न्यायालय सही था।
- II. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के आश्वासनों और केंद्र सरकार के आधिकारिक रुख के बीच विरोधाभास को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने लगातार कहा है कि सीआईसी की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश अमान्य हैं, क्योंकि आरटीआई अधिनियम में सीआईसी को अलग न्यायपीठ गठित करने के लिए अधिकृत करने संबंधी प्रावधान नहीं है। यह स्थिति सीआईसी को बता दी गई थी और डीओपीटी की वेबसाइट

पर प्रकाशित की गई थी। प्रत्यर्थी ने डीओपीटी के पत्राचार और विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त कानूनी राय का संदर्भ दिया। इन रायों ने पुष्टि की कि आरटीआई अधिनियम सीआईसी को पीठ गठित करने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने डीओपीटी के विशिष्ट पत्रों और आंतरिक टिप्पणों का उद्धरण दिया, जिससे यह विचार पुष्ट हुआ कि सीआईसी को न्यायपीठों के बजाय एक पूर्ण आयोग के रूप में कार्य करना चाहिए।

- III. प्रत्यर्थीगण ने कहा कि न तो आरटीआई अधिनियम और न ही इसके तहत बनाए गए नियमों में सीआईसी द्वारा न्यायपीठों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपीठों के लिए स्पष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि विधायिका सीआईसी को ऐसी शक्तियां देने का आशय नहीं रखती है। इस प्रकार, न्यायपीठों के गठन में सीआईसी की कार्रवाई उसके कानूनी अधिकार के दायरे से बाहर चली गई।
- IV. प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि सीआईसी ने अपनी जांच शक्तियों को गैर-सदस्यों वाली समिति को सौंपकर अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल सीआईसी या उसके सदस्यों के पास ही आरटीआई अधिनियम के तहत जांच करने का कानूनी अधिकार है। प्रत्यर्थी के अनुसार, इस तरह की समिति का गठन आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और कानूनी ढांचे को कमजोर करता है।
- V. प्रत्यर्थीगण ने उच्च न्यायालय के इस तर्क का समर्थन किया कि सीआईसी के नियम आरटीआई अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों से अधिक हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय की इस व्याख्या का समर्थन

किया कि अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की व्यापक शक्तियों में न्यायापीठों के गठन या गैर-सदस्यों की समितियों के गठन के लिए नियम बनाने का अधिकार शामिल नहीं है। प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत थे कि विनियमन 22 आरटीआई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधिकारातीत है।

VI. प्रत्यर्थीगण ने सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज पर सीआईसी की कार्रवाई के संभावित नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि डीडीए के उपाध्यक्ष जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों को समन करने और गैर-सदस्यों की समितियां गठित करने से सार्वजनिक प्राधिकरणों पर अनुचित बोझ पड़ सकता है और उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्रत्यर्थीगण ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों की आरटीआई अधिनियम में परिकल्पना नहीं की गई है तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

VII. प्रत्यर्थीगण ने सीआईसी की मौजूदा प्रणाली को बेकार बताया, जिसमें कई रजिस्ट्री की स्थापना, मनमानी प्रक्रियाएं और मामलों का एक बड़ा लंबित होना जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि स्वायत्तता की आड़ में सीआईसी की कार्रवाइयों ने अक्षमताओं और देरी को जन्म दिया है, जिससे आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य कमजोर हुए हैं।

11. सीआईसी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय का सहारा लिया है। अपीलार्थी, दिनांक 22.9.2009 के आदेश को रद्द करने को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि

वह आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत विनियमों और सीआईसी में निहित शक्तियों के दायरे के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देना चाहता है। सीआईसी का कहना है कि ये विनियम आयोग के प्रभावी प्रबंधन और कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए उसके कानूनी अधिकार के दायरे में बनाये गये हैं तथा समितियों का गठन करने की क्षमता इस अधिदेश का अभिन्न अंग है।

12. संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, विचारणीय प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या सीआईसी को आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के प्रावधानों के तहत सीआईसी की न्यायपीठों का गठन करने और आयोग के भीतर कार्य के प्रभावी प्रबंधन और आवंटन के लिए विनियम बनाने का अधिकार है, जिसमें आदेश जारी करना और समितियों का गठन करना शामिल है।
13. सबसे पहले, वर्तमान मुद्दे के संदर्भ में आरटीआई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करना उचित है। आरटीआई अधिनियम की धारा 12 में सीआईसी के गठन और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार को सीआईसी की स्थापना करने का अधिकार है, जिसमें सीआईसी और एक निर्दिष्ट संख्या में सूचना आयुक्त शामिल होते हैं, जो आवश्यकतानुसार दस से अधिक नहीं हो सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) सीआईसी को आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है। इस प्रावधान का तात्पर्य यह है कि सीआईसी के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन का व्यापक अधिकार है। यह व्यापक धारा सीआईसी को आयोग के सुचारु और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू करने की अनुमति देती है,

जिसमें आयोग की न्यायपीठों का गठन, इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक निर्णय लेना शामिल है।

14. आरटीआई अधिनियम की धारा 15, धारा 12 के प्रावधानों के समान है, लेकिन यह राज्य सूचना आयोगों पर भी लागू होती है। इसी प्रकार यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करता है तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 12 और 15 दोनों में समान भाषा का प्रयोग किया गया है, तथा इसमें सीआईसी और राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को अपने-अपने आयोगों के मामलों को स्वायत्ततापूर्वक और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्रबंधित करने के व्यापक अधिकारों पर बल दिया गया है। यह भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि विधायी मंशा इन अधिकारियों को उनके आयोगों को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु व्यापक अधिकार प्रदान करना था।
15. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.05.2010 को अपने आक्षेपित निर्णय में सीआईसी द्वारा बनाए गए विनियमों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से विनियम 22 पर आपत्ति जताई, जो आयोग के भीतर न्यायपीठों के गठन से संबंधित था। उच्च न्यायालय ने माना कि आरटीआई अधिनियम में सीआईसी द्वारा न्यायपीठों के गठन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। न्यायालय के अनुसार, आरटीआई अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनी ढांचे और नियमों में सूचना आयुक्तों की एकल या खंड न्यायपीठ की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।
16. हमारी राय में, उच्च न्यायालय की व्याख्या आरटीआई अधिनियम की प्रतिबंधात्मक व्याख्या पर आधारित थी, जो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत न्यायपीठों के लिए स्पष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति पर केंद्रित

थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि विनियमन 22 आरटीआई अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन करता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि आरटीआई अधिनियम के तहत आदेशों को खुली कार्यवाही में सुनाए जाने की आवश्यकता है, जबकि विनियमन 22 के तहत आदेशों को वेबसाइट पर डालने या पक्षकारगण को सूचित करने की अनुमति दी गई है, जो कानूनी आवश्यकता से हटकर है। इस न्यायालय का मानना है कि आरटीआई अधिनियम की व्यापक व्याख्या की आवश्यकता है। सीआईसी में निहित सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन शक्तियों से तात्पर्य आयोग के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक अधिकार से है, जिसमें न्यायपीठों का गठन करने की क्षमता भी शामिल है। यह व्याख्या आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मामलों के कुशल निपटान और सूचना के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।

17. न्यायपीठों के लिए स्पष्ट प्रावधान का अभाव सीआईसी के उन्हें गठित करने के अधिकार को अस्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां सीआईसी के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन जिम्मेदारियों के दायरे में निहित हैं। आरटीआई अधिनियम की व्यापक भाषा आयोग के प्रभावी और कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु सीआईसी को व्यापक अधिकार प्रदान करने के इरादे को इंगित करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रावधानों की अपनी संकीर्ण व्याख्या में आयोग के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सीआईसी की अंतर्निहित शक्तियों की अनदेखी की। आरटीआई अधिनियम की व्यापक भाषा से पता चलता है कि विधायी मंशा सीआईसी को आयोग के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित

करने वाले उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करना था।

18. वर्तमान मामले में, आरटीआई अधिनियम की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए, तथा कानून के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सूचना आयोग कुशलतापूर्वक और बिना किसी अनावश्यक प्रक्रियागत बाधाओं के कार्य करे। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत सीआईसी की शक्तियों में आयोग के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और निर्देशित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय शामिल हैं। इसमें मामलों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए न्यायपीठों का गठन करने की क्षमता भी शामिल है। न्यायपीठों के गठन से कार्य का कुशल आवंटन संभव हो सकेगा तथा मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित होगा, जो सूचना के अधिकार को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
19. इसके अतिरिक्त, न्यायपीठों के लिए स्पष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति पर उच्च न्यायालय की निर्भरता आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) और 15(4) की व्यापक भाषा की अनदेखी करती है, जो सीआईसी और राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को अपने संबंधित आयोगों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करती है। इन प्रावधानों की व्यापक भाषा से प्रतिबिंबित विधायी मंशा इन अधिकारियों को आवश्यक प्राधिकार प्रदान करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आयोग प्रभावी और कुशलतापूर्वक कार्य करें। इन

प्रावधानों में आयोग के कार्यों के लिए "अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन" शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। इस न्यायालय के कई ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं जिनमें निर्वाचन आयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 324 (1) में उल्लिखित शब्दों "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" की व्याख्या की गई है।

20. भारत निर्वाचन आयोग बनाम अशोक कुमार, मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग को दी गई शक्तियों के व्यापक दायरे को मान्यता दी है।

"... 13. संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए सभी निर्वाचनों तथा संविधान के अधीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होगा। "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" शब्दों का अर्थ बहुत व्यापक है, तथा इसमें ऐसी शक्तियां भी शामिल हैं, जिनका हालांकि विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं है, लेकिन चुनावों को संपन्न कराने के कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाना आवश्यक है..."

21. इसी प्रकार, भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को कानून के उन क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति देता है, जिनका विधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

“26. संविधान पीठ के उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोकतंत्र में छोटे व्यक्ति- मतदाता - का अत्यधिक महत्व है और छोटे-बड़े भारतीय (मतदाता) को वोट डालने के विवेक का सूक्ष्म रूप से दुरुपयोग करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मार्ग से अपहृत नहीं किया जाना चाहिए। आवधिक चुनाव के सतत सहभागी संचालन में, मतदाता अपने उम्मीदवार का सामाजिक संपरीक्षा करता है और ऐसे संपरीक्षा के लिए उसे अपने उम्मीदवार के अतीत के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा, अनुच्छेद 324 कानून द्वारा खाली छोड़े गए क्षेत्रों में लागू होता है और शब्द "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" के साथ-साथ "सभी चुनावों का संचालन" सबसे व्यापक शब्द हैं। कानून की चुप्पी का कोई बहिष्करणात्मक प्रभाव नहीं होता, सिवाय इसके कि यह आवश्यक निहितार्थ से प्रवाहित होता हो। इसलिए, हमारे विचार में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री साल्वे और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार करना कठिन होगा कि यदि अधिनियम या नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, तो उच्च न्यायालय को चुनाव आयोग को ऐसे निर्देश जारी नहीं करने चाहिए थे। यह तय है कि आयोग की शक्ति का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाता है। कानूनी प्रावधानों या नियमों में यह ज्ञात है कि प्रत्येक आकस्मिकता का पूर्वाभास या पूर्वानुमान सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है, इसलिए आयोग आवश्यक आदेश जारी करके ऐसी स्थिति से निपट सकता है, जहां क्षेत्र खाली हो।”

22. इसलिए, आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) और 15(4) में “अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन” शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से

सीआईसी को अपने स्वयं के नियम बनाने और अपने द्वारा गठित समिति को अपनी शक्ति सौंपने के लिए पर्याप्त व्यापक शक्ति प्रदान करता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने इन व्यापक शक्तियों का उपयोग करते हुए 'केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007' अधिनियमित किया है। यद्यपि आरटीआई अधिनियम स्पष्ट रूप से सीआईसी को विनियम बनाने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत दी गई व्यापक शक्तियों में स्वाभाविक रूप से आयोग के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता शामिल है। ये विनियम आयोग के कुशल प्रशासन और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं, तथा इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रक्रियात्मक और प्रबंधकीय पहलुओं पर ध्यान देते हैं। नामकरण पर संकीर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना और आरटीआई अधिनियम के भीतर विनियमन-निर्माण के लिए एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति इसके व्यापक उद्देश्य और इरादे को कमजोर कर देगी। इन विनियमों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त नामकरण से उनकी आवश्यकता तथा आयोग के कामकाज को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका कम नहीं होनी चाहिए। आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या से पता चलता है कि "अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन" की शक्तियां व्यापक हैं, जिससे सीआईसी को विनियमनों के निर्माण सहित ऐसे उपाय अपनाने में सक्षम बनाया जा सके, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारियों के कुशल संचालन को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, इन विनियमों का निर्माण न केवल उचित है बल्कि सीआईसी के लिए अपने कार्यभार और परिचालन मांगों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आरटीआई अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

23. इस मोड़ पर, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत, सीआईसी को अपने मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक दिशानिर्देश, निर्देश और अनुदेश जारी करने का अधिकार है। सीआईसी द्वारा तैयार किए गए 'केन्द्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007' को 'परिपत्र', 'उपनियम' या किसी अन्य समान प्रशासनिक आदेश के रूप में घोषित किया जा सकता था। प्राथमिक आपत्तियां "विनियम" शब्द के कारण उठाई गई हैं, जिसके बारे में प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि यह एक अलग कानून की गंभीरता प्रदान करता है। हालांकि, इस व्याख्या में इन उपायों के पीछे के मूल उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया गया है। "विनियम" शब्द का उपयोग उनके कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए, जो कि किसी अन्य प्रशासनिक आदेश या परिपत्र के समान है जिसे सीआईसी जैसा प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यापित कर सकता है। इन विनियमों का सार आयोग के आंतरिक प्रबंधन और प्रक्रियात्मक संचालन को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका में निहित है, जो कि आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के तहत दी गई अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की व्यापक शक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से परिकल्पित आवश्यकता है। शब्दावली पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण, आपत्तियाँ अन्य प्रकार के प्रशासनिक मार्गदर्शन के साथ इन विनियमों की कार्यात्मक तुल्यता को समझने में विफल रहती हैं। ये विनियम आयोग की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए थे, ताकि किसी भी प्रशासनिक संदर्भ में इसके संचालन को संरचना और स्पष्टता प्रदान की जा सके। इसलिए, केवल "विनियम" लेबल के आधार पर आपत्तियां उठाना एक ठोस तर्क के बजाय शब्दार्थ का प्रयोग है।

24. हमारा मानना है कि केन्द्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता उसके प्रभावी कामकाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप, जैसे कि न्यायपीठों के गठन की शक्ति, बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से निपटाने की इसकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करेगा। सीआईसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने तथा बाह्य बाधाओं के बिना अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीआईसी की अखंडता और प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए अहस्तक्षेप का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आयोग को स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति देने से यह सुनिश्चित होगा कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सकेगा, जो आरटीआई अधिनियम का आधार हैं। सूचना आयुक्तों के बीच न्यायपीठों का गठन करने और कार्य आवंटित करने की क्षमता सीआईसी के लिए अपने कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नागरिकों के सूचना के अधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
25. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है, तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त की आयोग की न्यायपीठों के गठन से संबंधित विनियम बनाने की शक्तियाँ बरकरार रखी जाती हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के दायरे में आती हैं।
26. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

हेडनोट तैयार किया गया: विधि ठाकर, मा. सहायक संपादक

(द्वारा सत्यापित: कानू अग्रवाल, अधिवक्ता)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.